न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 02 / 2024

प्रार्थी

01 गीता देवी पत्नी धोकलराम

02 रमेश विश्नोई पुत्र धोकलराम जातियान विश्नोई निवासीयान– शिवरो की ढाणी, जोधपुर जिला– जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

01 नैनी देवी पत्नी राजूराम जाति विश्नोई निवासी– चामपणकड़ा नगर, तहसील– रोहट, जिला– पाली।

02 साउ देवी पत्नी खेमाराम जाति विश्नोई निवासी– बिड़ासनी तहसील– लूणी जिला– जोधपुर।

03 तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:–

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **श्री कुन्दनमल अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित**

–: निर्णय :– **दिनांक** 02/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम हरिपुर पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित खाता संख्या 149 के खसरा नंबर 779 / 1 रकबा 1.9200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व ग्राम हरिपुर में स्थित खसरा नंबर 786,787,788 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.2700 हैक्टर व खसरा नम्बर 775 रकबा 2.2400 हैक्टर व खसरा नंबर 774 रकबा 1.9900 हैक्टर की भूमि प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण की खतेदारी कब्जा काश्त की भूमि के चिपते ही ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785 / 1734 रकबा 1.700 हैक्टर व खसरा नंबर 785 रकबा 1.1300 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक व दो की संयुक्त आई हुई स्थित है तथा उपरोक्त अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के चिपते व पास में आई हुई स्थित होने से उक्त अप्रार्थीगण एवं अन्य के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अनावश्यक सीमाओ एवं धोरा पाली को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते है तथा हर समय मौके पर सीमाओ एवं माठो को लेकर झगडा होने की संभावना रहती है। तथा अप्रार्थीगण एवं अन्य के द्वारा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखअंदाजी कर व्यंवधान करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि में बिना किसी अधिकार के अनावश्यक रूप से रास्ता निकालने की धमकियां देते है। जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण व अन्य कोई ऐसा नहीं करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण व अन्य के द्वारा प्रार्थीगण को माठो एवं सीमाओं / पत्थर गडडी के अभाव में बेदखल करने की धमकियां देते रहते है तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कुचेष्टा करते है। उपरोक्त भूमियों के पत्थर गड्डी के अभाव में मौके पर हर समय पक्षकारान के मध्य विवाद होने की संभावना उत्पन्न होती रहती है तथा मौके पर झगडा होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त संबंध में राजस्व अधिकारियों से सीमांकन हेतु निवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक 23 / 100 दिनांक 09.11.2023 के क्रम में मौके

पर संबंधित पटवारी व भू- अभिलेख निरीक्षक के द्वारा पहुच कर सीमांकन हेतु गए लेकिन मौके पर अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारान के द्वारा झगडा विवाद कर आपत्ति की गई, इसलिए सीमांकन नही हो सका। प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा एवं अधिकारों हेतु सीमांकन / पत्थरगड्डी करवाना चाहता है।

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम हरिपुर पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित खाता संख्या 149 के खसरा नबर 779/1 रकबा 1.9200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व ग्राम हरिपुर मे स्थित खसरा नंबर 786,787,788 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.2700 हैक्टर व खसरा नम्बर 775 रकबा 2.2400 हैक्टर व खसरा नंबर 774 रकबा 1.9900 हैक्टर की भूमि प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कब्जा काश्त की व ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785/1734 रकबा 1.700 हैक्टर व खसरा नंबर 785 रकबा 1.1300 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक व दो की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ्ढी के जरिए मुटाम लगवाया जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री कुंदनमल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक से दो की ग्राम हरिपुर में खसरा नंबर 785/1734 रकबा 1.700 हैक्टर व खसरा नंबर 785 रकबा 1.1300 हैक्टर की भूमि संयुक्त खातेदारी की आई हुई स्थित है जिस भूमि के आस पडौस में प्रार्थीगण की भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से हमेशा माठ व धोरापाली को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग एवं उपभोग में बाधा एवं दखल कारित करते है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का माप सीमांकन एवं पत्थरगड्डी के लिए आवेदन किया है जिसके साथ ही अप्रार्थीगण की उपरोक्त पद में वर्णित भूमि का भी माप सीमांकन कर पत्थरगड्डी की जानी कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद समाप्त हो सके। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 व 04 कानूनी होना जाहिर किया है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम हरिपुर पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित खाता संख्या 149 के खसरा नंबर 779/1 रकबा 1.9200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व ग्राम हरिपुर में स्थित खसरा नंबर 786,787,788 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.2700 हैक्टर व खसरा नम्बर 775 रकबा 2.2400 हैक्टर व खसरा नंबर 774 रकबा 1.9900 हैक्टर की भूमि प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कब्जा काश्त की व ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785/1734 रकबा 1.700 हैक्टर व खसरा नंबर 785 रकबा 1.1300 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक व दो की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ्ढी के जरिए मुटाम लगवाया जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण की भूमि के साथ अप्रार्थीगण की भूमि सरहद ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785/1734 एवं खसरा नंबर 785 के संदर्भ में भी माप सीमांकन कर पत्थरगड्डी किए जाने के आदेश प्रदान किया जाने की ईश्तदुआ की है।

सोजत (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा० पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत उभय पक्ष अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सिमांकन कर पत्थरगढी के जरिये मुटाम कायम कायम करवाना चाहते है जिसका उन्है विधिक अधिकार प्राप्त है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम हरिपुर पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित खाता संख्या 149 के खसरा नंबर 779/1 रकबा 1.9200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व ग्राम हरिपुर में स्थित खसरा नंबर 786,787,788 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.2700 हैक्टर व खसरा नम्बर 775 रकबा 2.2400 हैक्टर व खसरा नंबर 774 रकबा 1.9900 हैक्टर की भूमि प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कब्जा काश्त की व ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785/1734 रकबा 1.700 हैक्टर व खसरा नंबर 785 रकबा 1.1300 हैक्टर की कृषि भूमि तथा अप्रार्थीगण की सरहद ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785/1734 एवं खसरा नंबर 785 की भूमि में पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाया जाकर सीमाज्ञान तारबंदी पुलिस इमदाद के जरिए मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश:-

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम हरिपुर पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में स्थित प्रार्थीगण व अप्राथीगण की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 149 के खसरा नंबर 779/1 रकबा 1.9200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व ग्राम हरिपुर में स्थित खसरा नंबर 786,787,788 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.2700 हैक्टर व खसरा नम्बर 775 रकबा 2.2400 हैक्टर व खसरा नंबर 774 रकबा 1.9900 हैक्टर की भूमि प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी,कब्जा काश्त की व ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785/1734 रकबा 1.700 हैक्टर व खसरा नंबर 785 रकबा 1.1300 हैक्टर की कृषि भूमि तथा अप्रार्थीगण की सरहद ग्राम हरिपुर के खसरा नंबर 785/1734 एवं खसरा नंबर 785 कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा तत्पश्चात मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02/05/24 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)